

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेरमो (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख)के अंतर्गत

परमिशन वाद सं० 61 वर्ष 2016

आवेदक- श्री मति लाल देवी-

केता- श्री मति सुष्मा देवी-

ग्राम- माटीजहा

ग्राम- डोली हाप अमर

थाना- कपमाय जिला-बोकारो

थाना- बेरमो जिला-बोकारो

आदेश की क्र०सं० तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख का 03
31/12/24	आदेश अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। वाद निष्पादन हेतु उभय पक्ष की अभिरुचि नहीं है एवं अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन अप्राप्त है। लम्बी अवधि से वाद चलाने का कोई औचित्य नहीं है। इसी आशय के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। भूमि सुधार उपसमाहर्ता बेरमो (तेनुघाट)।	